



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022024-252002
CG-DL-E-12022024-252002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 569]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2024/माघ 23, 1945

No. 569]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2024/MAGHA 23, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2024

का.आ. 600(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-543 विस्तार के कि.मी. 0+000 से 69+400 कि.मी. तक (शहडोल से सागरटोला मार्ग) (शहडोल बायपास)(तहसील-पुष्पराजगढ़) 3(A) अतिरिक्त का निर्माण (चौड़ीकरण/2-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब-डिविशनल मजिस्ट्रेट, पुष्पराजगढ़, डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को

व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के जिले अनूपपुर, में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-543 विस्तार के कि.मी. 0+000 से 69+400 कि.मी. तक (शहडोल से सागरटोला मार्ग) (शहडोल बायपास)(तहसील-पुष्पराजगढ़) 3(A) अतिरिक्त के निर्माण के लिए भूखण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: अनूपपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पुष्पराजगढ़					
गांव का नाम: पयारी					
1	253	निजी	असिंचित	0.256 (हेक्टेयर)	0.256
2	280/4	निजी	असिंचित	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
गांव का नाम: सरई					
3	11/2	निजी	असिंचित	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
4	466	निजी	असिंचित	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
5	469	निजी	असिंचित	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
गांव का नाम: तरंग					
6	282/1	सरकारी	असिंचित	0.23 (हेक्टेयर)	0.23
7	282/2	निजी	असिंचित	0.059 (हेक्टेयर)	0.059
8	493/1	सरकारी	रास्ता	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
9	493/3/5	निजी	असिंचित	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
10	504/2	निजी	असिंचित	1.262 (हेक्टेयर)	1.262
गांव का नाम: अमदरी					
11	298/1	सरकारी	वृक्षकुंज	0.268 (हेक्टेयर)	0.268
12	298/2	निजी	असिंचित	0.097 (हेक्टेयर)	0.097

13	298/3/1	निजी	असिंचित	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
14	298/3/2	निजी	असिंचित	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
15	298/3/3	निजी	असिंचित	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
16	299/1	सरकारी	रास्ता	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
17	299/2	निजी	असिंचित	0.217 (हेक्टेयर)	0.217
18	299/5/1	निजी	असिंचित	0.217 (हेक्टेयर)	0.217
19	299/5/2	निजी	असिंचित	0.217 (हेक्टेयर)	0.217
20	299/6	निजी	असिंचित	0.216 (हेक्टेयर)	0.216
21	314/2	सरकारी	पहाड़	0.281 (हेक्टेयर)	0.281
22	314/3/1	निजी	असिंचित	0.304 (हेक्टेयर)	0.304
23	314/3/2	निजी	असिंचित	0.202 (हेक्टेयर)	0.202
गांव का नाम: तुलरा					
24	51/3	निजी	असिंचित	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
25	52/2	निजी	असिंचित	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
गांव का नाम: श्यामदुआरी					
26	102/3/2	निजी	सिंचित	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
27	102/3/3	निजी	सिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
Total					4.295

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/49/2019-20/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2024

S.O. 600(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH543 in the stretch of land from **Km. 0+000 to Km. 69+400 (Shahdol to Sagartola Road)(Shahdol Bypass) (Taluka-Pushprajgarh) 3A Additional** in the district of **ANUPPUR** in the state of **MADHYA PRADESH**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Magistrate , Pushprajgarh** , District **Anuppur** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling **NH-543** in the stretch of land from **Km. 0+000 to Km. 69+400 (Shahdol to Sagartola Road) (Shahdol Bypass) (Taluka-Pushprajgarh) 3A Additional** in the District of **ANUPPUR** in the state of **MADHYA PRADESH**.

State: MADHYA PRADESH			District: ANUPPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pushprajgarh					
Village: Payari					
1	253	Private	Non-Irrigated	0.256 (Hectare)	0.256
2	280/4	Private	Non-Irrigated	0.003 (Hectare)	0.003
Village: Sarai					
3	11/2	Private	Non-Irrigated	0.021 (Hectare)	0.021
4	466	Private	Non-Irrigated	0.048 (Hectare)	0.048
5	469	Private	Non-Irrigated	0.025 (Hectare)	0.025
Village: Tarang					
6	282/1	Government	Non-Irrigated	0.23 (Hectare)	0.23
7	282/2	Private	Non-Irrigated	0.059 (Hectare)	0.059
8	493/1	Government	Rasta	0.057 (Hectare)	0.057
9	493/3/5	Private	Non-Irrigated	0.057 (Hectare)	0.057
10	504/2	Private	Non-Irrigated	1.262 (Hectare)	1.262
Village: Amdari					
11	298/1	Government	Brakshkunj	0.268 (Hectare)	0.268
12	298/2	Private	Non-Irrigated	0.097 (Hectare)	0.097
13	298/3/1	Private	Non-Irrigated	0.06 (Hectare)	0.06
14	298/3/2	Private	Non-Irrigated	0.06 (Hectare)	0.06
15	298/3/3	Private	Non-Irrigated	0.06 (Hectare)	0.06
16	299/1	Government	Rasta	0.02 (Hectare)	0.02
17	299/2	Private	Non-Irrigated	0.217 (Hectare)	0.217
18	299/5/1	Private	Non-Irrigated	0.217 (Hectare)	0.217
19	299/5/2	Private	Non-Irrigated	0.217 (Hectare)	0.217
20	299/6	Private	Non-Irrigated	0.216 (Hectare)	0.216
21	314/2	Government	Pahad	0.281 (Hectare)	0.281

22	314/3/1	Private	Non-Irrigated	0.304 (Hectare)	0.304
23	314/3/2	Private	Non-Irrigated	0.202 (Hectare)	0.202
Village: Tulara					
24	51/3	Private	Non-Irrigated	0.014 (Hectare)	0.014
25	52/2	Private	Non-Irrigated	0.023 (Hectare)	0.023
Village: Shayamduaari					
26	102/3/2	Private	Irrigated	0.011 (Hectare)	0.011
27	102/3/3	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
Total					4.295

[F. No. CE-RO BPL/30010/49/2019-20/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.